

SHRI K. MAYATHEVAR : Please give me an opportunity to make a submission.. (Interruptions)

MR. SPEAKER : No question of an opportunity. I have given my ruling.

SHRI C.T. DHANDAPANI : You kindly give me one minute. I will read out the text...(Interruptions)

MR. SPEAKER : I have seen it; I have gone through it. It does not make a privilege matter

SHRI C.T. DHANDAPANI : Let me read out and then you decide. Let the House know about it... (Interruptions)

MR. SPEAKER : I have already decided it. (Interruptions) I am going to name him. If you do not sit down, I will name all of you.

श्री रामलाल राही : इस देश के कारखाने के जो संगठित मजदूर हैं, वे भी निर्धारित मजदूरी से..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन दे दीजिए । Not allowed; Shri B.D. Singh.

SHRI C.T. DHANDAPANI : I will read out...(Interruptions)

MR. SPEAKER : I will not allow you to read out. I have already given my ruling. I will not allow it. I am not going to budge from it. I do not allow it. This is too much; everything has its limit. Shri B.D. Singh.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Not allowed.

PROF. MADHU DANDAVATE : Will you please give your ruling ? I have pointed out to you the precedent of Acharya Kripalani.

MR. SPEAKER : I am looking into it.

PROF. MADHU DANDAVATE : Are you looking into it ?

MR. SPEAKER : Yes. Why do you want to have it repeated ? You are a seasoned parliamentarian.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is exactly what I wanted to know. In the hubbub I did not know that it was under your consideration. That is all.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Nothing goes on record. No Call Attention motion to be discussed here. No. Shrimati Gecta Mukherjee can come to me. Nothing goes on record.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Not allowed.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Manjeri) : What about my privilege motion ?

MR. SPEAKER : No privilege motion. It has been disallowed. There is nothing. You can come under direction 115.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Not allowed. Prof. Saifuddin Soz can see me if he so likes. He can come to me.

12.16 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported sad plight of inmates of Beggars' Homes and Rescue Homes and recent incidents in Resettlement-cum-Classification Centre of the Directorate of Social Welfare, Delhi

SHRI B.D. SINGH (Phoolpur) : I call the attention of the Minister of Education and Culture and Social Welfare, to the following matter of

urgent importance and request that he may make a statement thereon :

"The reported sad plight of inmates of Beggars' Homes and the recent incident in the Resettlement-cum-Classification Centre of the Directorate of Social Welfare, Delhi."

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P.K. THUNGON) : The persons found begging in Delhi are arrested under the Bombay Prevention of Begging Act, 1959, as extended to the Union Territory of Delhi in 1961. After their arrest, they are brought to the Reception-cum-Classification Centre, where they are produced before the Court of the Metropolitan Magistrate, who is also located in the premises of the building of Reception-cum-Classification Centre. Only after committal order by the Court, a beggar is sent to one of the Beggar Homes located in different parts of Delhi. In the last two years, three additional Homes with a capacity of 1,000 inmates have been sanctioned bringing the total number of Beggar Homes in Delhi to 12 as against one in 1961.

Every effort is being made to improve the conditions of the Beggar Homes, within the available financial resources. The Beggar Homes also provide facilities for training in skills which will enable the inmates to earn their livelihood, after they are released from the Homes. The problem of over-crowding has not been completely solved, but with the provision of additional accommodation the situation will improve to some extent.

In the Delhi Homes, the inmates have been sanctioned a fixed scale of diet. Medical facilities, both indoor and outdoor have also been provided. A 50 bedded hospital is functioning in Sewa Kutir Campus, Kingsway Camp, Delhi. An ambulance in each

complex has also been provided to deal with the emergent causes. The able bodied beggars are being sent for work-sites of P.W.D., the New Delhi Municipal Committee and the Municipal Corporation of Delhi and they are paid fixed wages as approved by the Government of India from time to time.

12.19 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

On 2 April 1984, it was reported that an inmate of the Reception-cum-Classification Centre, Kingsway Camp, Delhi, was sexually assaulted by the Home Guards posted on duty there. The matter was immediately reported to the Police who have registered a case and the matter is under investigation. One of the accused has been arrested while the other accused is absconding. The Caretaker of the Reception-cum-Classification Centre has been placed under suspension for dereliction of duty.

The problem of beggary is an intricate problem and is caused by a number of socio-economic factors. Mere legislative action will not be able to eradicate the social evil, though anti-beggary laws have already been enacted in most of the States where the problem of beggary exists. These Acts provide for the infrastructure for the care and rehabilitation of beggars.

The resource constraint is one single most important factor in improving the conditions of the Beggar Homes. I may point out here that all the Social Defence Programmes including the beggary prevention programme were transferred to the State Sector at the beginning of the Fourth Five Year Plan in pursuance of a decision taken by the National Development Council. The main initiative, thus lies with the States, though the Central Government has been pursuing with them at various levels to create the necessary

infrastructure and provide better services in the Beggar Homes.

श्री बी० डी० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षा-वृत्ति हमारे देश के लिए एक कलंक बन गई है। इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सदन में और बाहर बार-बार आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कि भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों की संख्या घटने के बजाए प्रति-वर्ष बढ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में ऐसे पेशेवर गैंग भी काम करते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण करके उसका अंग-भंग कर देते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं। हम आये-दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इन गैंग के द्वारा बच्चे उठा लिए जाते हैं और गायब कर दिए जाते हैं और उनका कोई अता-पता नहीं चलता। दिल्ली के बारे में रिपोर्ट है कि यहां पर 1979 में 5007 बच्चे गायब हुए और 1980 में यह संख्या बढ़कर 5799 हो गई। कलकत्ता की पुलिस की रिपोर्ट है कि वहां पर 1979 में 3431 बच्चे लापता हुए।

इनमें से अधिकांश बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे हुए गैंग के हाथों में पड़ जाते हैं। 16 मार्च को राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था :

"However, 3,028 children have been admitted in the Observation Home for girls during the period from April 1983 to February 1984."

साल भर में 3028 बच्चे होम फार गर्ल्स में एडमिट हुए। इससे पता चलता है कि ये गैंग एक सुनियोजित तरीके से हर वर्ष

कितनी बड़ी संख्या में बच्चों को भिक्षा-वृत्ति में लगा रहे हैं।

बार-बार कहा जाता है कि भिक्षा-वृत्ति का देश में पूर्ण रूप में उन्मूलन किया जाए। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने भी बहुत दुख व्यक्त किया था कि कम-से-कम बच्चों के द्वारा भिक्षावृत्ति को रोका जाना चाहिए। लेकिन सरकार भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए सरकार क्या कानून बनाने जा रही है और क्या कार्यवाही करने जा रही है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बताया है कि बैंग्स होमस हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन बैंग्स होमस की जो दयनीय स्थिति है उसकी जितनी भत्सना की जाय वह थोड़ी है। वहां पर लोग भूखे रखे जाते हैं, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, बीमारी में दवा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सड़कों पर भिक्षा मांगना या भूखे रहना उनको ज्यादा पसंद है वजाय बैंग्स होम में रहने के और यही वजह है कि आए दिन बच्चे वहां से भागते रहते हैं। अभी पिछली जनवरी 1983 की रिपोर्ट थी कि लापरवाही, भोजन और दवा वगैरह न मिलने की वजह से किंग्सवे कैम्प के बैंग्स होम में 50 लोगों की मृत्यु हुई और यह केवल दो महीनों नवम्बर और दिसम्बर के अन्दर हुई। यह दिल्ली की रिपोर्ट है।

इसके अलावा हमारे पास 26 फरवरी से 3 मार्च का "दिनमान" है जिसमें उत्तर प्रदेश के एक बैंग्स होम की चर्चा है। "जिस्म और जान की लूट" शीर्षक से यह पूरा आर्टिकल उसके ऊपर दिया है। इन

बैगर्स होम को जिस्म और जान की लूट का केन्द्र कहा है। इसमें तमाम विस्तार से दिया हुआ है। विशेष तौर से दो भिक्षुक गृहों का जिक्र है। एक तो फंजाबाद जिले के अन्दर अयोध्या में भिक्षुक गृह चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है यह बताया है कि किस तरह से वहाँ अव्यवस्था है और दूसरे इलाहाबाद के भिक्षुक गृह के बारे में विस्तार से दिया हुआ है कि किस तरह की अव्यवस्था वहाँ पर चल रही है।

यहाँ दिल्ली में क्योंकि हमारी सरकार इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है कि हमारी समस्याएं चाहे ज्यों की त्यों मौजूद रहें लेकिन विदेशियों की निगाहों में दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ सब व्यवस्थित चल रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, इस प्रकार के दिखावे की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसीलिए 82 में एशियाड हुआ या नाम का आयोजन हुआ तो दिल्ली प्रशासन ने यह कोशिश की कि दिल्ली के अन्दर कोई भिखारी दिखाई न दे, इसलिए उनको पकड़ पकड़ कर कुछ को यहाँ लाया गया बैगर्स होम्स में और काफी संख्या में लोगों को बाहर के बैगर्स होम्स में भेजने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोग फंजाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी के अन्दर भेजे गए। इसमें कितनी लापरवाही बरती जाती है इसका अन्दाजा आपको इसी से लग जाएगा कि 12 दिसम्बर को 110 लोगों को जिनमें 40 महिलाएं भी थीं दिल्ली से रवाना किया गया और पहुँचने वालों की संख्या हुई 105। 5 कहीं रास्ते में मर गए या उनका क्या हुआ, कोई अता पता नहीं है। जनवरी 84 में अखबारों में निकला कि वहाँ पर बैगर्स होम्स में जो

भिखारी रखे गए थे, शीत लहरी के कारण उनमें से कितने ही मर गए। 12 दिसम्बर को ये लोग भेजे गए, 13 दिसम्बर को फंजाबाद पहुँचे, 14 दिसम्बर को उनकी डाक्टरी जाँच कराई गई। डाक्टर ने बताया कि 24 लोग बुरी तरह से बीमार हैं लेकिन कोई व्यवस्था उनके लिए कपड़े या खाने पीने की नहीं हुई जिसकी वजह से दिसम्बर के आखिरी पखवारे में नौ लोगों की मृत्यु हो गई लापरवाही और देख-रेख न होने के कारण। ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर हालत खराब है, खाने को नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता तो वह वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। इसमें ताज्जुब की बात है कि पिछली 14 मार्च को यहाँ पर योजना मंत्री जी जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने आँकड़े देते हुए बताया कि 57 मिलियन लोगों को पिछले 1979-80 और 1980-81 में पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन 57 मिलियन के अलावा भी, एक विशेष अनुमान के अनुसार देश में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे भिखारी के रूप में विद्यमान हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिनके पास न रहने के लिए मकान है, न कपड़ा है, न खाने की व्यवस्था है, दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं और दूसरों के सामने हाथ पसारते हैं, ऐसे 50 लाख भिखारियों की दशा में सुधार लाने के लिए आप कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते, उनको ऊपर उठाने में विचार क्यों नहीं करते। एक तरफ तो आप 57 मिलियन लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर उठा देने का बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है। उसको भी देखिए।

उपाध्यक्ष जी, अयोध्या के पास जो भिक्षुक गृह है, वहां पर लोगों की मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इलाहाबाद में बार-बार इसके खिलाफ आवाज उठायी जाती रही है। वहां पर एक भिखारी पर लगभग 100 रुपया खर्च किया जाता है, ताकि उसका भरण पोषण हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पावर्टी लाइन के नीचे लोगों की पर-हेड इन्कम लगभग 65 रुपये महीना है। उसके नीचे पावर्टी लाइन के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको भूखा रखा जाता है, नंगा रखा जाता है, उनके लिए दवा इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। बार-बार यह आवाज उठी और इलाहाबाद में उसकी जांच भी कराई गई जिसकी रिपोर्ट एक सितम्बर, 1983 को, वहां के एक मजिस्ट्रेट ने जांच करने के बाद जिलाधिकारी को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 1981-82 के विभिन्न विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि अधीक्षिका तथा जिला हरिजन अधिकारी द्वारा विधान सभा सदन तथा तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को गुमराह किया गया, धोखा दिया गया और भरण-पोषण के नाम पर बिस्तीय बजट आबंटन में गोलमाल किया गया और यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अपनी विस्तृत जांच में उन्होंने कहा है कि वर्ष 1977-78 और 1982-83 के बीच लगभग 73 हजार रुपये का इसमें गोलमान हुआ है। उसमें जो लोग रखे जाते हैं, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका हर प्रकार से शोषण किया जाता है, उनसे अनैतिक कार्य कराये जाते हैं और उसकी शिकायतें बार-बार आती रहती हैं। हमारे

किंगज्वे कैम्प में पिछली दो अप्रैल को एक घटना हुई थी।

समाज कल्याण निदेशालय की देख-रेख में एक बैगर्स होम वहां पर चलाया जा रहा है, जिसको रीसेंटलमेंट कम क्लासिफिकेशन सेंटर भी कहते हैं, जहां पर शुरू में लोग लाये जाते हैं और उसके बाद उनको क्लासिफाई करके भिन्न-भिन्न बैगर्स होम में ले जाया जाता है। दो अप्रैल को प्रातः वहां एक घटना घटी और उस सेंटर की दयनीय स्थिति के बारे में पहले भी एक बार हमारे रामविलास पासवान जी ने चर्चा उठाई थी और कहा था कि पंजाब में जा रहे एक लेबरर को रेलवे स्टेशन पर पकड़ कर बैगर्स होम में डाल दिया गया। इसी तरह से एक लक्ष्मी नाम की महिला, जिसकी उम्र 24 वर्ष की थी, कहा जाता है कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लैमन बेचने का काम किया करती थी, उसको भी 11 मार्च को रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़कर बैगर्स होम में भिजवा दिया। वहां पर होना यह चाहिए था कि पहले उस की जांच की जानी चाहिए थी, एक दो दिन में उसका फंसला हो जाना चाहिए था कि वास्तव में वह भिखारी है या नहीं। यदि वह वास्तव में भिखारी है तो उसको निःसन्देह बैगर्स होम में भिजवा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसको लगातार पन्द्रह दिनों तक जुडीशियल कस्टडी में रिमाण्ड पर रखा गया और 15 दिनों बाद 29 मार्च को जब उसकी सुनवाई होनी थी तो उस दिन जांच अधिकारी नहीं पहुँचे और उसका परिणाम यह हुआ कि उसको फिर रिमाण्ड बढ़ाकर 15 दिन के लिए रख लिया

जाता है। यानी उसको एक महीने तक इस तरह परेशान किया जाता है, यह तय नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में भिखारी है या नहीं। तो इस प्रकार से लापरवाही होती है। नतीजे के तौर पर आप देखिए कि उसकी कितनी दर्दनाक स्थिति है—24 साल की उम्र और दो छोटे-छोटे बच्चे और वह विधवा भी है लेकिन उसको भी यहां पर रखा गया। घर में उसके कोई है ही नहीं। बच्चों की ममता की वजह से वह जाना चाहती थी। जब वह नहीं जा पाई तो उसने भागने का प्रयास किया। इस प्रयास में वह भाग नहीं पाई लेकिन जो वहां के रक्षक थे, जो कि भक्षक बन गए हैं, उन दो रक्षकों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद फिर होम में डाल दिया। बाद में उसने अपनी यह दर्दनाक कहानी बतलाई।

उपाध्यक्ष जी, वहां पर इसी बात को तय करने में महीनों लग जाते हैं कि कोई भिखारी है या नहीं है। "दिनमान" में ऐसे एक दर्जन केसेज दिए हैं जहां वे वास्तव में भिखारी नहीं थे लेकिन उनको पकड़-पकड़ कर वहां डाल दिया गया और यह बात महीनों में तय हो पायेगी कि वे भिखारी हैं भी या नहीं। इसलिए तुरन्त ही इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि वह भिखारी है या नहीं। अगर फौरन इसका फैसला होने की व्यवस्था रहती तो शायद लक्ष्मी के साथ ऐसा कुकर्म नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ अधिकारियों की लापरवाही से जो होता है उसके लिए उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज भिक्षु गृहों का हालत बड़ी दयनीय हो रही है। आज कुछ लोगों ने तो उसको

आमदनी का जरिया बना दिया है। हमारे इलाहाबाद में तो कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें शामिल हैं, मन्त्री तक शरीक हैं, पैसा लेते हैं। आप रिपोर्ट देखें कि किस प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूं ज्यादा भिक्षुक गृह बढ़ाने के बजाए भिक्षा वृत्ति का उन्मूलन करने का प्रयास होना चाहिए। भिक्षुक गृहों की वर्किंग कंडीशन्स ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है, केवल पैसा एलाट कर देने की ही जिम्मेदारी नहीं है।

आजकल तो देखने में यह आता है कि कार्यपालिका का काम न्यायपालिका ने सम्हाल लिया है, उसको अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने लगी हैं। उनके आदेश से वह काम किए जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार भिक्षा-गृहों में फैली अव्यवस्था को जाँच करने के लिए हर क्षेत्र के लोगों को शामिल करके एक कमेटी का गठन करे जोकि इस समस्या का हर पहलू से अध्ययन करे और सुधार करने के सुझाव दे तथा यह भी बताए कि भिक्षुओं को किस प्रकार से रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है? इन सारी बातों पर वह कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे और सरकार उस पर अमल करे।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन समस्याओं पर क्या कर रही है, यह बतलाने की कृपा करें।

THE DEPUTY MINISTER IN
THE MINISTRIES OF EDUCATION
AND CULTURE AND SOCIAL WEL-
FARE (SHRI P.K. THUNGO) :
Sir, the hon. Member has covered

mianly three points. One is about the maiming of children. In this regard, I would like to inform the hon. Member that this is dealt by a different Act, that is, by the children Act. Therefore, within this subject, it does not come. Secondly, the hon. Member has raised the point about what we are doing for improving the plight of the beggars in the Beggar Homes. In that regard I have already stated in the main statement. I would, however, like to state a few more things about what we are doing. In the Beggar Homes, we have provided free board and lodging facilities. The facilities for training in certain vocations are also available so that after the period of their stay in the Home is over, they can go and take up some vocation or do some work.

As regards facilities for fooding in these Homes, the hon. Member will be glad to know that the scale of dietary articles as also clothing articles for each beggar in Delhi is :

Diet per day :

Atta, Rice	— 470 gms
Grams	— 30 gms
Dals	— 85 gms
Vegetables	— 250 gms
Salt	— 15 gms
Condiments	— 5 gms
Mustard oil/ vegetable ghee	— 20 gms
Firewood	— 350 gms
Sugar	— 40 gms
Milk for tea	— 40 gms
Tea leaves	— 3 gms
Roasted G. Oil	— 30 gms

Clothing :

Kurta	— 4 per year
Pyjama	— 4 per year
Kachha	— 4 per year
Baniyan	— 4 per year

Towel	— 2 per year
Chapal	— 2 pairs
Blanket	— 1 per year
Jersy	— 1 for three years
Khes	— 1 for one year
Chaddar	— 2 for one year
Dari	— 1 for one year

This is the provision, and the things are supposed to happen according to this...*(Interruptions)*. These are the facilities that we are providing.

The hon. Member has raised what laws are going to be enacted by the Government for prevention of beggary and for improvement of Beggar Homes. In this regard, the Bombay Prevention of Begging Act was made applicable to Delhi in 1961. Thereafter, 15 States have enacted such Acts and two Union Territories, Delhi and Goa, Daman and Diu have also enacted the necessary legislation. But there are some other States which have not yet enacted the Acts. We have been pursuing with them and have been writing to them. The State Minister of Education and Culture and Social Welfare has written to the States ; the Cabinet Secretary and Secretary, Social Welfare have also written to them. We are pursuing the matter.

On the other hand, what we are trying to do is, that through Research Programme of the ministry of Social Welfare, we are trying to study the problem in certain cities like Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, Tirupati, Ajmer etc. In these places some surveys have already been conducted. After completing the study, a sample Act will be made for all the Union Territories which can be taken as a model by the States to cannot Acts in their respective States.

The other aspect that the hon. Member has raised is about the recent incident in Kingsway Camp Centre, which happened in the Remand Home.

To make it very clear, the hon. Member mentioned that a woman by name Shrimati Lakshmi was arrested. She was arrested in the Delhi Main Railway police station, on 11th March 1984. Then she was remanded to police custody. She was remanded on 12 March 1984 upto 29th March 1984. On that date, the hearing was supposed to take place, but the police inspector who had arrested her could not attend the court. Therefore, it was further postponed. She was further remanded upto 12.4.1984.

(Interruptions)

SHRI P.K. THUNGON : The observations made by the court are quite clear: once the witnesses or those persons who are concerned, and whose statements are to be taken, do not appear, the court has no alternative but to extend. However, you will see that the extension of the date i.e. the duration was not very long.

(Interruptions)

After that, on 1st April, at night, she tried to get away from the Remand Home. She actually crossed the wall and went outside. Then the Caretaker immediately informed the Home Guards who were there to guard the inmates. And then she was brought back round about 4 a.m. the next day. And then she alleged that she was misbehaved with. Roundabout 11.45, her statement was taken. And in the statement she alleged that some of the Home Guards sexually assaulted her, and then this was immediately intimated by the Caretaker to the Superintendent. The Superintendent immediately informed the Directorate of Delhi Social Welfare. On the advice of the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration, a case was reported to the police. The police has registered a case. Investigation is going on.

I hope this meets your question.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Prof. Ajit Kumar Mehta and Shri Rajnath Sonkar Shastri are not here. Now Shri Ram Vilas Paswan.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) :
उपाध्यक्ष जी, मैं आपका और उपाध्यक्ष महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन में उठाने का मौका दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को कालिंग एटेंशन के रूप में मैंने क्यों इस सदन में उठाने का प्रयास किया है? यदि आप इसकी पृष्ठभूमि में जायेंगे तो आपका दिल दहल जायगा...

मैं लगातार दो साल से इस तथाकथित बेगर्स होम, जिसका बहुत अच्छा नाम है—“सेवा कुटीर” के पीछे पड़ा हुआ हूँ और पहली बार मैं इस सम्बन्ध में आज से एक साल पहले होम मिनिस्टर साहब से मिला था और यह मेरे पास ता० 15 अप्रैल से 21 अप्रैल का “रविवार” है जिसमें विस्तार से इसके बारे में निकला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय—श्रीमती शीला कौल और हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, दोनों इसको पढ़ने का कष्ट करें। इसमें लिखा है कि दिल्ली प्रशासन को नजर में सभी गरीब भिखमंजे हैं। यह रविवार मैं श्री उद्यन शर्मा का लेख है। “नव भारत टाइम्स” 30 मार्च 1984 का है, उसमें आपने पढ़ा होगा, जिसका हेडिंग दिया था श्री दीनानाथ मिश्र ने—“कहानी शुरू होती है प्लेटकाम नंबर 13 से और जाती है जेल।”

इसी सदन में नियम 377 के अधीन भी मैंने यह मामला उठाया था। उपाध्यक्ष

महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार या दूसरे गरीब राज्यों से जो गरीब लोग जाते हैं हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए तो दलाल लोग पहले से ही उनके पीछे लग जाते हैं। दलाल उनको कह देते हैं कि तुमको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे। तुमको वहां सारा काम मिल जाएगा। इसके बाद जहां उनको बाउंडेड लेबर रखना होता है, वहां पर स्टेशन पर उनको बिना टिकट पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद जो दलाल होता है वह कहता है कि तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जान-पहचान है, तुमको जमानत पर छोड़ा लिया जाएगा। वहां से कोई आदमी आता है और उनको छोड़ा कर ले जाता है। उसके बाद साल-दो-साल उससे बाउंडेड लेबर की तरह काम लिया जाता है। इसमें सब मिले रहते हैं। यह कहानी यहां खत्म होती है।

कुछ लोग हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए चले जाते हैं और साल-दो साल के बाद जब वे कमाकर लौटते हैं तो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उनको रोक लिया जाता है। पुलिस मिली रहती है। उनका टिकट लेकर फाड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह जाली टिकट है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत केस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ही हैं। वहां पर एक गैंग काम कर रहा है, जिसमें पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं। उसको वहां से ले जाते हैं और जो कुछ कमाकर वह हजार, 5 सौ रुपया लाया होता है, उससे छीन लिया जाता है। पकड़ कर

उसको बंन में ले जाते हैं, वहीं उसका पैसा छीन लिया जाता है। फिर उसको मारा-पीटा जाता है। आपने जिसको स्वागत कक्ष कहा है, वहां उसका स्वागत किया जाता है। अगर वह स्वागत कक्ष है तो वह मंत्री महोदय को ही मुबारक हो। वहां पर लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। मंत्री महोदय कभी स्वयं भिक्षुक बनकर वहां जाकर देखें।

श्री पी० के० थुंगन : मैं गया था देखने के लिए। (व्यवधान)

श्री रामबिलास पासवान : उस स्वागत कक्ष में ले जाया जाता है। पैसा तो पुलिस छीन ही लेती है, इसलिए इस बदनामी से बचने के लिए उसको बैगर्स होम में भेज दिया जाता है। आपने बताया है कि वहां पर इतने जोड़े चप्पल दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, ये दिया जाता है, वह दिया जाता है, इसके बारे में दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि उसके साथ क्या-क्या होता है।

मेरे गांव के बगल का एक हरिजन, जिसका नाम था मेघसदा। वह 1982 में काम करने के बाद पंजाब से आ रहा था और जब लौटकर आ रहा था तो उसकी जेब में पैसे थे। वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। उसकी टिकट पुलिस ने लेकर फाड़ दिया और कह दिया कि यह जाली टिकट है। उसको ले जाकर बंन में बैठा दिया। उसने बताया कि वहां पर 15-20 आदमी पहले से बैठे हुए थे। उसके बाद उसको स्वागत कार्यालय में ले गए। उसका सब पैसा छीन लिया गया। जब उसने प्रोटेस्ट किया तो

उसको मारा-पीटा गया। एक सप्ताह तक लाकअप में रखा गया। पता नहीं यह कौन-सा लाकअप है, भगवान जाने। उसके बाद उसको बैगर्स होम में डाल दिया गया। उससे एक साल तक मजदूरी करवाई गई बाउंडेड लेबर की तरह। आपने बताया है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० आदि के अन्तर्गत काम कराया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया कि छोड़ने के समय पैसा दिया जाता है या नहीं। उससे काम करवाया गया और काम करने के बाद वह निकला अक्टूबर 1983 को दशहरे के समय। उस समय जब वह जेल में पहुँचा था तो एक रामविलास पासवान नाम का दूसरा आदमी भी वहाँ पकड़कर बन्द किया गया था। उसका नाम भी मेरी तरह ही राम विलास पासवान है।

उस आदमी से मेघसदा की मुलाकात हो गई। राम विलास पासवान से उसने कहा कि तुम बोलना नहीं, वरना तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद उसको कहा कि मैं तुम्हारे घर पर खबर कर दूंगा। एक साल के बाद जब मेघसदा निकल कर गया तो उसके घर पर पहुँचा। वह राम विलास पासवान के गांव के बगल का हो था जान-पहचान थी। वहाँ पहुँचकर उसने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा भाई अमुक जगह पर बन्द है। उसके बाद, उसके परिवार के लोगों को लेकर के मेरे पास आया। उसको लेकर मैं श्री पी० सी० सेठी, गृहमंत्री से 19 या 20 अक्टूबर को मिला। मैंने उनसे कहा कि अमुक नाम का आदमी बन्द है। उन्होंने, पुलिस कमिश्नर श्री टंडन को टेलीफोन पर कहा कि इस मामले को

आप गम्भीरता से लें। मैंने सब लोगों को पत्र लिखे और फिर प्रेस कांफेस बुलाई। मैंने कहा कि मेघसदा, मेरे साथ है, जिसको बैगर्स होम में रखा गया था। प्रेस ने उस पर पूरा कवरेज दिया। मुझे उम्मीद है, मंत्री जी वहाँ जरूर गए होंगे। इसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। भगत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्च के महीने में मैं स्वयं किंग्सवे कैम्प में गया। वहाँ, श्री वर्मा, सुपरिन्टेंडेंट और श्री मोहन सिंह या मोहर सिंह नाम के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट हैं। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर राम विलास पासवान नाम का आदमी बन्द है। एक-डेढ़ घंटे तक मैं वहाँ बैठा रहा। तब, उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर इस नाम का आदमी है। होम मिनिस्ट्री और पुलिस कमिश्नर ने तो छह महीने तक पता ही नहीं किया। लेकिन, एक संसद सदस्य, जिसके पास कोई जानकारी ही नहीं है, वह वहाँ पहुँच गया। डायरेक्टरी से ढूँढ़कर मैंने मालूम किया कि किंग्सवे कैम्प में बैगर्स होम चलता है। उन्होंने बताया कि वह काम पर गया हुआ है और शाम के छह बजे तक लौटेगा। मार्च का महीना था और पार्लियामेंट का अधिवेशन चल रहा था, इसलिए मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल था। मुझे बताया गया कि छोड़वाने के लिए एक हजार रुपए लगेंगे। मैंने कहा कि मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अगले दिन एक बजे आने के लिए कहा गया। जब मैं दूसरे दिन एक बजे पहुँचा तो मुझे कहा गया कि मजिस्ट्रेट उठकर चला गया है। वहाँ पर पूरा सेंट-अप है क्योंकि मजिस्ट्रेट और वकील सभी हैं। उसके बाद आठ तारीख को मैं

जमानत करवाकर उसको अपने घर पर ले आया। जब नियम 377 के अन्तर्गत मैंने इस मामले को उठाया था तो सोचा था कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे। लेकिन, मंत्री जी तो कहते हैं कि वहां पर तो खाना, कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है। एक साल तक रखने के बाद मेघसदा को एक भी पैसा नहीं दिया गया। आते समय उसको एक अन्डर वियर और जो पुराना मैजी था, वह दिया गया। उसको अपने कपड़े भी नहीं दिए गए। पासवान को जब छोड़ा तो सिर्फ उसके कपड़े दिए गए। जब मैं गया था तो मेरे साथ जनलिस्ट तथा दूसरे लोग भी थे। जिस आदमी को छुड़वाने के लिए एम० पी० जाए और यह कह दिया जाए कि यहां भी एक पैसा मजदूरी नहीं मिलेगी, तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? मैंने, अपनी जेब से 80 रुपए का टिकट लेकर, एक महीने के बाद उसको घर भेज दिया। तमाम समाचार पत्रों और मॅगजीन्स ने उसका इन्टरव्यू लिया। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह सेवा कुटीर नहीं बल्कि डंडा कुटीर है। महीने में दस-पांच लाख वहां से निकलती रहती हैं। किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता है। आपने महिला के सम्बन्ध में कहा है कि वह दीवार से कूद कर भाग रही थी।

13 hrs.

आप महिला मंत्री हैं, महिला प्रधान मंत्री हैं। क्या आपको इतनी भी कर्त्तसी नहीं होती कि आप उसका पता लगाने का काम करें कि वह कौन भिखमंगी महिला थी, उसको क्यों जबर्दस्ती पकड़ कर बन्द कर दिया गया। यदि वह वास्तव में कोई

भिखमंगी महिला थी तो उसके साथ क्यों जबर्दस्ती बलात्कार किया गया। और बलात्कार करने वाले के खिलाफ आप कोई स्टर्न एक्शन न लेकर मंत्री महोदय यहां अगर-मगर लगा कर जवाब दे रहे हैं। इसलिए मेरा चार्ज है कि वहां पर कितनी कैपेसिटी है, वह तो आप बतलायेंगे, मैं आपको बताऊं कि वहां लगभग 5 हजार निर्दोष लोग बन्द हैं। वे सबके सब मजदूर हैं। आपने दिल्ली की सफाई के नाम पर, नाम और एशियाई खेलों के नाम पर गरीबों की हत्या की है और यह सरकार हत्यारी सरकार से कम नहीं है, जिसने गरीबों को बसाने के नाम पर, उनका पुनर्वास करने की बजाए, उनको रोजगार मुहैया करने की बजाए आपने लेजाकर जेलों में बन्द कर दिया और वह तो जेल से भी ज्यादा बदतर जगह है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक केन्द्र बना हुआ है। वहां पर राम विलास पासवान नाम का एक व्यक्ति पकड़ कर लाया जाता है, वह कहता है कि मेरे गांव के एक एम० पी० हैं, उनका नाम भी राम विलास पासवान है, आप उनको जाकर यह खबर कर दीजिए। पहले तो उससे पूछा जाता है कि यह एम० पी० कहां रहते हैं, जब वह कहता है कि हमें नहीं मालूम, तो जितनी बार वह एम० पी० का नाम लेता है, उतने ही डंडे उस पर पड़ते थे। अभी रविवार में एक कहानी दी है कि 24 जनवरी को जब निजामुद्दीन से भिखारियों की धरपकड़ हो रही थी तो उनमें एक पेंटर साबिर सिद्दीकी को भी भिखारी मान कर पकड़ लिया गया। उसके अगले दिन उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। इसी तरह

एक हसीना नाम की बुढ़िया जो चारपाई पर बैठी धूप सेंक रही थी, उसको भी पकड़ लिया गया। इस तरह के न जाने सैकड़ों केस होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली की नाक के नीचे जो बैगर्स होम बनाया है, सेवा कुटीर बनाई है, यह गरीब लोगों की गरीबी के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे साथी अभी ठीक कह रहे थे कि इस योजना के अन्तर्गत यदि आप सचमुच में भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं तो इस धन्धे को बन्द कीजिए। वैसे आप चाहे पच्चीस सूत्री योजना बनाएं या पचास सूत्री योजना बनाएं उससे इन लोगों का भला होने वाला नहीं है, वे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार यह पता करने के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन करे। वह 5-10 आदमियों की कमेटी, जितने हमारे लोग वहां बन्द हैं, उनका इन्टरव्यू सीक करे, उनके परिवार वालों को खबर करे और जितने लोग बैगर्स होम में बन्द किए गए हैं, उनका पता लगाये। क्योंकि जो इन्सान बैगर नहीं है, इस सरकार ने उनको बैगर बनाकर जेलों में बन्द कर दिया है, बैगर्स होम में बन्द कर दिया है। यह कोई लाख या दो लाख लोगों की समस्या नहीं, कुछ लोगों की समस्या है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए, यह कोई पोलिटिकल मामला नहीं है, इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी बदनामी होने वाली नहीं है, यह केवल प्रशासन में सुधार करने का कार्य है, इसलिए अविलम्ब वह कमेटी बनाइये।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि देश में लगभग 55 लाख भिखारी हो गए हैं, यह देश भिखारियों का देश हो गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश आर्थिक स्वावलम्बन की ओर जा रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां पर दो मामले हमारे नोटिस में आये और उन दोनों मामलों का असर हमारे देश पर इतना गहरा पड़ा है कि यदि मैं उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा कर लाता तो पता नहीं छः महीने तो क्या, 6 साल तक भी न छूटता।

दूसरी ओर उनमें क्या होता है कि प्रत्येक आदमी को ग्यारह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। लेकिन उस मजदूरी से तीन आदमियों को फायदा पहुंचता है। पहले तो जो पुलिस उनको पकड़ती है, उनको फायदा होता है कि जितने पैसे उनकी जेब में होते हैं, उनको पुलिस वाले झाड़ लेते हैं। दूसरा फायदा वहां पर जो आफिसर होता है, उसको होता है। यदि उसमें पांच हजार लोग बन्द हैं, तो औसतन यदि एक हजार आदमियों को भी मान लीजिए, यदि केवल एक हजार लोगों को ही काम पर लगाया जाता है तो ग्यारह रुपये के हिसाब से जब सब को मजदूरी मिलती है तो ग्यारह हजार रुपये उस आफिसर को नेट इंकम हो जाती है। खाने-पीने और दवा-दारू की बात तो दूर रही। वैसे आप कहते हैं कि उनके लिए अस्पताल हैं, बेंड शीट्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जेल से भी बदतर हालत वहां पर है। इसलिए मैं आपको सीधे कहना चाहता हूँ कि आप इधर-उधर की बातों

में न जाकर, आपके जो पास चिट्ठे लिख-कर आई हैं, आप उनको फाड़ने का काम मत कीजिए... यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक लाइन में कहिए कि जो घटनाएं वहां घट रही हैं, उसके सम्बन्ध में एक पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करते हैं, या कोई भी दूसरी कमेटी गवर्नमेंट की नियुक्त कीजिये और उसमें एक, दो पार्लियामेंट के मेम्बर रहें, चाहे आप अपनी ही पार्टी के मेम्बर रखिए। जहां आज ये सारे कुकर्म और अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जांच करवाइये, यही मेरी मांग है।

यदि आपके पास लिस्ट हो तो बतला दीजिये कि पिछले एक साल में कितने लोगों की मृत्यु वेवसी में हुई है और कारण क्या हैं? आप इसे पढ़ेंगे तो साफ-मालूम होगा कि अन्धा लाश से टकरा गया, 3 दिन लाश पड़ी रही, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की, कोई उठाने वाला नहीं था। रिपोर्टर वहां जाता है, कम्प्लेंट करता है तो उस लाश को फिर फेंका जाता है। यह रविवार का अंक है और 30 तारीख का नवभारत टाइम्स है, इसमें पूरी कहानी है यदि आपके पास हो तो कहिये नहीं तो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप इसके मुताबिक कीजिये।

मैं यह मांग करूंगा कि हजारों लोग जो कि निर्दोष हैं, इन अत्याचारों के शिकार न हों, जीवन रहते मौत के गर्त में न जाएं, इसके लिए कर सकते हो तो एक कमीशन, पार्लियामेंटरी कमेटी या कोई परमानेंट कमेटी नियुक्त कीजिए। यह भी बताइये कि क्या कोई कमेटी ऐसी है जो वहां जाकर देखती है? अगर आप पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करने को तैयार हों तो मैं

निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि उसमें आपको फायदा होगा। आप इसे मुकर्रर कीजिए, और इस बारे में साफ जवाब दीजिए।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पासवान जी ने बहुत सारी बातें सदन के सामने कहीं हैं और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी की है। हम ऐसा ही चाहते हैं। हमारे सदस्य हमारी आंखें और कान हैं, वह ऐसे विषयों पर अगर ज्यादा ध्यान दें तो हमारे समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि अकेले एक दफ्तर हल नहीं कर सकता है, इसमें समाज का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। इस वक्त अकेले माननीय सदस्य के नाते उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की, लेकिन उनके दिल में जो भावनाएं हैं, उन्होंने इनको मजबूर किया कि इन चीजों को देखें।

हमारे यहां वालेंटवरी आर्गनाइजेशन हैं, लेकिन यह बहुत कम हैं, यह जरूरी है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें इन बातों की जानकारी दें। आफिशियल्स तो रोज-मर्रा का काम करते हैं।

मैं माफी चाहती हूं, मैं एक जगह फंस गई थी, वहां नहीं जा सकी, इसलिये देर हो गई आगे मैं, मैं लेकिन समझती हूं कि हमारे उपमंत्री श्री धुंगन जी ने बताया होगा कि जो औरत थी, जिसको होमगार्ड्स ने मिस-बिहेव किया, वह पहली दफा

बैंगरी के लिए नहीं पकड़ी गई थी, लेकिन उसकी कहानी भी बड़ी गमजदा कहानी है।

वह एक अच्छे घर की लड़की थी, बाप अच्छा कमाते थे, लेकिन मां-बाप बचपन में गुजर गये थे। बड़े भाई बहिन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया। जिन दच्चों को इस तरह से खानदानी तरीके से फेमिली देखभाल नहीं करती है तो वह गुमराह हो जाते हैं। इसी तरीके से इस औरत की भी बड़ी दर्दनाक कहानी है।

वह एक दफा पहले पकड़ी गई थी, दोबारा फिर पकड़ी गई बैंगरी करते हुए। जो कुछ उसके साथ हुआ होगा, वह थुंगन जो ने कहा होगा। यह जो महिला, जिस को कहते हैं कि जेठ ने उसको छुड़ा लिया, और जेठ ने उसके संग किया, क्योंकि वह किसी और के संग रहने लगी थी, यह पूरी जानकारी तो माननीय सदस्य के पास है। उनकी तरह मैं भी बैंगर्ज होम में गई थी। मैंने देखा कि वहां पर जो होना चाहिए, वह नहीं था, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे की कमी हो जाती है। इसी लिए इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम सब मिलकर इस बारे में सोचें, ज्यादा पैसा खर्च कर सकें और ज्यादा ध्यान दें सकें, तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है। मैं तो यह सब काम करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें सब माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए, जो उन्होंने मुझे इस वक्त दिया है, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। माननीय सदस्य ने इस पर रोशनी डाली है कि किस तरह काम करने से सुधार हो सकता है।

लोग भिखारी क्यों बनते हैं? माननीय सदस्य ने रामविलास पासवान का जिक्र किया है। भिखारी तीन चार कैटेगरीज में आते हैं। एक तो बेचारे अपंग हो जाते हैं और उनके घर वाले कहते हैं कि जाकर भीख मांगों। दूसरे प्रोफेशनल बैंगर्ज होते हैं। मैंने सदन में बताया था कि बैंगर्ज का एक गैंग बनता है और यह उनका प्रोफेशन है। मैं लखनऊ शहर का बताती हूँ कि वहां प्रो० सुशीलचन्द्र ने इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि किस तरह से एक गैंग चार-बाग स्टेशन पर काम करता था। प्रोफेसर खुद भिखारी बनकर उनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि वहां पर एक फेमिली थी उसका चीफ या हेड ऊपर तो टाट के कपड़े पहनता था, लेकिन अंदर अच्छे गम के कपड़े पहने रहता था। उसकी चार बीबियां और बच्चे थे और अच्छा खाना-पीना था। जब उसको मालूम हुआ कि वह प्रोफेसर हैं, तो वह उनकी जान के पीछे पड़ गया और वह अपनी जान बचाकर भागे।

जैसा कि मैंने कहा है कुछ लोग डिस-एबिलिटी की बजह से बैंगर बन जाते हैं। बाजा बफा मां-बाप के मर जाने पर बच्चे डेस्टीट्यूट हो जाते हैं। जैसे हमारी आबादी बढ़ी है, वैसे ही इन लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों का गार्वज में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, वह भी हमको देखना है। अगर मैं या आप ऐसे बच्चों को न पालें, तो उन्हें कुत्ते खा जाएंगे। इस प्राबलम में वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्स को ज्यादा इनवाल्व करना चाहिए। कमेटी बनाने से क्या होगा?—कमेटी से कुछ नहीं हो सकता।

श्री रामविलास पासवान : होगा । आप बनाइए ।

श्रीमती शीला कौल : इसमें वालन्टेरी आर्गनाइजेशन को इनवाल्व करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : वालन्टेरी आर्गनाइजेशन तो और ज्यादा चोर हैं । वे खुद खाने में लगी रहती हैं ।

श्रीमती शीला कौल : बहुत सी अर्गनाइजेशन काम करती हैं, जिनको इसमें दिलचस्पी है और जिनकी समाज कल्याण विभाग मदद करता है ।

श्री राम विलास पासवान : निर्मला बेशपांडे हरिजन सेवा संघ चला रही हैं । उनको हरिजनों में क्या दिलचस्पी है ? उनको खाली पैसा चाहिए । मंत्री महोदय बैंगर्ज होम की जांच करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर कर दें । वह देखे कि निर्दोष लोग कैसे बैंगर बनाए जाते हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है । वालन्टेरी आर्गनाइजेशन को चलने दीजिए । बैंगर्ज होम में एक, दो, तीन हजार लोग हैं । एक जांच बिठाई जाए कि उन लोगों को किस स्थिति में रखा जाता है, क्या उपाय किया जाए कि निर्दोष लोगों को बैंगर न बनाया जाए और जो पैसा सरकार देती है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो । मैंने राम-विलास पासवान और मेघूसदा के दो उदाहरण दिए हैं । मैंने चैलेंज दिया है कि अगर वे बैंगर्ज हैं तो मुझे भी सजा दी जाए—रेजिनेशन, जेल—, मैं उसके लिए तैयार हूँ । अगर उनको बैंगर्ज कह कर बन्द किया है, तो जिसने किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

श्रीमती शीला कौल : नहीं नहीं । मैं यह नहीं कहती कि आप किसी तरीके से गलत बात कह रहे हैं । मैं बिल्कुल ऐसी करती हूँ आपके साथ जो आप कह रहे हैं, लेकिन यह कहना कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी इस को तय कर लेगी या इसका फैसला कर लेगी वह नहीं हो पाएगा बल्कि एक और ज्यादा काम लाद दिया जाएगा इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर...

श्री राम विलास पासवान : वह चैक होगा ।

श्रीमती शीला कौल : वह इससे नहीं होगा । इसमें आप जाएं, जैसे आप गए थे, अपने साथियों को ले जाएं, औरों को ले जाएं और यहां बताएं..... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY-SPEAKER : No-body can participate. Please sit down.

श्रीमती शीला कौल : मैं तो यह समझती हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी हमें ज्यादा मदद नहीं कर सकेगी ।

श्री राम विलास पासवान : Sir, I want your protection. I have asked a specific question.

मैंने कहा था, मेरा जो मुख्य मुद्दा था वह यह था कि निर्दोष लोगों को बैंगर बनाया जाता है । इसके लिए सरकार के पास क्या मशीनरी है जिससे सरकार यह जज करती है कि यह बैंगर है या नहीं ? आपका कानून है भिक्षा वृत्ति रोकने का । मेरा चार्ज है कि निर्दोष लोगों को बैंगर बनाया जाता है । सरकार के पास क्या पैरामीटर है पता करने का कि वह बैंगर है या नहीं । यदि बैंगर है तो मैंने एग्जाम्पल दिया था मेघूसदा और राम विलास पासवान का,

क्या सरकार उसके ऊपर जांच बंटाएगी, जांच करवाएगी, इसकी फैंक्ट फाइंडिंग करवाएगी और बेगर्स होम में जो करप्शन है उसकी कोई जांच होती है या नहीं ? अगर नहीं होती है तो कैसे सरकार उसके ऊपर बाच ऐसी रखेगी, कैसे उसको अपने नियंत्रण में रखेगी ? इसके लिए सरकार के पास क्या मशीनरी है।

श्रीमती शीला कौल : देखिए, आपने अभी बताया है कि इस पर सरकार क्या बाच रखेगी, तो जरूर बाच रखेगी। जरूर बाच रखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने कितनी मेहनत की है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी हश अप मत दीजिए। दो केसेज मैंने पकड़े हैं। दो केसेज मैंने छुड़वाए हैं। इनके सम्बन्ध में आप जांच करवाएंगी ?
What about my question ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Action will be taken on whatever you have said, and they will inquire into it.

श्री पी० के० थुंगन : आपने यह सवाल उठाया कि बेगर है या नहीं, आप की मशीनरी इसमें क्या करती है ? कोई मशीनरी इसके लिए है या नहीं ? उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा यह तय होता है। हमारे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कोर्ट कहता है कि यह सचमुच बेगर है या नहीं। जो बेगर नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Where is the defence lawyer ? Is there any defence lawyer there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is telling you the procedure. Should you not listen to him ?

SHRI P.K. THUNGON : About the two specific cases which you have mentioned, it has already been stated by my hon. senior colleague that we would look into their cases about Ram Vilas Paswan and Meghu Sada. So, we will get those cases looked into.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Will you inform the House after that ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, he said he would look into it and get a reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Who will reply ? Is it the Minister or the officials ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You leave it to the Department. There is a procedure.

SHRI P.K. THUNGON : He knows it very well that when I say 'we will get them looked into', we will certainly inform. Are you happy now ?

(Interruptions)

13.20 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

- (1) Need to check the growth of illegal and fake finance and savings companies in the country.

श्री चन्द्रपाल शंलानी (हायरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल देश के विभिन्न भागों में, सेविंग फाइनेन्स तथा चिटफंड कंपनियों के नाम से अनेक अवैधानिक और फर्जी संस्थायें कार्य कर रही हैं। इनके कार्यालय शहरों से लेकर छोटे-छोटे